



छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसंपर्क संचालनालय की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

वेबसाइट- <http://samvad.cg.nic.in/> फोन नं. 0771-2512580, 81

क्रमांक- 792/छ.ग.सं./क्षे.प्र /2026

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 04/06/2026

यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट के लिए रुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण सूचना

छत्तीसगढ़ संवाद (जनसंपर्क विभाग की सहयोगी संस्था) द्वारा रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों एवं प्रमुख शहरों एवं सभी विकासखण्ड, पंचायतों एवं प्रमुख जगहों में यूनीपोल के माध्यम से राज्य शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले व योजनाओं/उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पूर्व में इम्पैनलड फर्मों के अतिरिक्त निविदा के अनुमोदित दर पर इस कार्य में रुचि रखने वाले अन्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है।

रुचि के अभिव्यक्ति के नियम शर्तों का अवलोकन छत्तीसगढ़ संवाद की वेबसाइट <http://samvad.cg.nic.in> पर किया जा सकता है। प्रारूप एवं नियम शर्तों में संशोधन होने पर संशोधन की सूचना उक्त वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी, पृथक से समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन नहीं की जाएगी। रुचि की अभिव्यक्ति हेतु प्रपत्र ऑफलाईन बंद लिफाफा में जमा करने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :-

प्रपत्र का शुल्क	रुपये 2,360/- (जीएसटी सहित) वापसी योग्य नहीं)
अमानत राशि	रुपये 5,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य)
रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि	दिनांक 06/07/2026 समय 2:00 बजे अपराह्न तक
रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 06/07/2026 समय 3:00 बजे अपराह्न तक
रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव प्रपत्र खोलने की तिथि	दिनांक 06/07/2026 समय 4:00 बजे सायं से

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

छत्तीसगढ़ संवाद

नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर

जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-2512580, 81

email : cgsamvad@gmail.com

रायपुर तथा नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र , छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों एवं सभी विकासखंड मुख्यालय , पंचायतों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु निविदा के अनुमोदित दर पर इम्पैनलमेंट हेतु आमंत्रित रूचि की अभिव्यक्ति का नियम एवं शर्तें

क्रमांक	नियम एवं शर्तें
1	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र , छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों एवं सभी विकासखंड मुख्यालय , पंचायतों एवं प्रमुख जगहों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु स्वयं के पास नगर पालिक निगम /नगर पालिका/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत /एयरपोर्ट/रेलवे परिसर से विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार प्राप्त वैध यूनीपोल होने वाले एजेंसियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित किया जा रहा है। जॉइंटवेचर/ फ्रेंचाइजी/कंसोर्टियम मान्य नहीं होगा।
2	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा यूनीपोल के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु निविदा के माध्यम से दर निर्धारण कर फर्मों का इम्पैनलमेंट किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के राजधानी रायपुर, नवा रायपुर अटल नगर एवं प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों एवं सभी विकासखंड मुख्यालय , पंचायतों एवं प्रमुख जगहों में यूनीपोल के माध्यम से प्रचार प्रसार हेतु शासन के जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिले व योजनाओं/उपलब्धियों के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु पूर्व में इम्पैनलमेंट फर्मों के अतिरिक्त अनुमोदित दर पर इस कार्य में रूचि रखने वाले अन्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु प्रस्ताव आमंत्रित की जाती है।
3	रूचि की अभिव्यक्ति के तकनीकी बिड में चाही गयी वांछित सभी दस्तावेज का इंडेक्स तैयार कर इंडेक्स वार बंद लिफाफा में तकनीकी बिड को संलग्न कर लिफाफे के ऊपर रूचि की अभिव्यक्ति एवं फर्म का नाम लिखकर बंद लिफाफा रूचि की अभिव्यक्ति जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र . SF- 10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।
4	किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सत्यापित वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में औसतन 50 लाख रुपए का UDIN अंकित टर्न ओवर प्रमाणपत्र की प्रति लिफाफा के साथ संलग्न करना होगा।
5	रूचि की अभिव्यक्ति प्रपत्र शुल्क रू. 2,360/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रू. 5,00,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस /एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है:- Account Name : Chhattisgarh Samvad Bank Name : Indian Bank Branch Name : Sector-27, Nava Raipur (C.G.) Saving Account No. : 20246301259 IFSC Code No. : IDIB000N571
6	(1) यूनीपोल की विज्ञापन प्रदर्शन के अधिकार के संबंध में नगर पालिक निगम /नगर पालिका/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत /एयरपोर्ट/रेलवे परिसर से विज्ञापन प्रदर्शन अधिकार संबंधी वैधता प्रमाण-पत्र की प्रति जमा करना अनिवार्य है। (2) यूनीपोल का फोटो एल्बम यूनीपोल की साईज एवं लोकेशन मैप की पूर्ण पता का उल्लेख करते हुए लिफाफा में संलग्न करना होगा। (3) छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा (4) पैन कार्ड की प्रति (5) Assessment year 2023-24 , 2024-25 एवं 2025-26 का इनकमटैक्स रिटर्न की Acknowledgement की प्रतियाँ (6) माह मार्च - 2026 का GSTR3B की प्रति। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन नहीं होने की स्थिति में अपने प्रचलित जीएसटी नंबर का माह मार्च - 2026 की जीएसटी रिटर्न की प्रति संलग्न करना होगा।।

स्वयं के स्वामित्व के यूनीपोल के स्पेस चार्ज (माउंटिंग चार्ज सहित) हेतु छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा अनुमोदित दर निम्नानुसार है:-

क्र.	कार्य	कार्य	अनुमोदित न्यूनतम दर
1	बिना लाईट यूनीपोल - रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र / रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	40
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	130
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	125
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	120
2	बिना लाईट यूनीपोल - नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र / नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	39
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	122
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	117
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	112
3	बिना लाईट यूनीपोल - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय/जिला मुख्यालय में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	36
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	115
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	110
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	105
4	बिना लाईट यूनीपोल - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु बिना लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	11
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	35
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	30
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	25

5	लाईट यूनीपोल - रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र / रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	59
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	185
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	180
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	175
6	लाईट यूनीपोल - नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र / नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	56
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	175
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	170
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	165
7	लाईट यूनीपोल - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय/जिला मुख्यालय में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	51
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	165
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	155
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	150
8	लाईट यूनीपोल - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु लाईट यूनीपोल न्यूनतम साइज़ 20'X10' का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	15
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	50
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	45
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	40

9	बिना लाईट मिनी यूनीपोल - रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र/ रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	40
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	125
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	120
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	115
10	बिना लाईट मिनी यूनीपोल - नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र/ नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	38
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	119
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	115
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	110
11	बिना लाईट मिनी यूनीपोल - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय /जिला मुख्यालय में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	36
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	112
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	107
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	102
12	बिना लाईट मिनी यूनीपोल - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु बिना लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिकरूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	15
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	49
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	48
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	47

13	लाईट मिनी यूनीपोल - रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र / रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रतिवर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	57
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	180
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	175
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	170
14	लाईट मिनी यूनीपोल - नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र/ नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	54
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	170
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	165
		07 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	160
15	लाईट मिनी यूनीपोल - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय/जिला मुख्यालय में स्थित रेलवे / एयरपोर्ट परिसर हेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है। जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रतिवर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	52
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	165
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	160
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	155
16	लाईट मिनी यूनीपोल - छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों के सभी विकासखण्ड, ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत क्षेत्र हेतु लाईट मिनी यूनीपोल अधिकतम साइज़ 15'X10' या उससे कम साइज़ का होना अनिवार्य है । जो की स्वयं की स्वामित्व में हो, विज्ञापन प्रदर्शन हेतु किराया प्रति वर्ग फीट के अनुसार दर देवें । 8 से 29 दिन की दर, 01 माह के लिए प्राप्त प्रति वर्ग फीट की दर से अनुपातिक रूप से गणना किया जायेगा।	न्यूनतम 7 दिन - (प्रति वर्ग फीट)	15
		1 - 3 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	52
		4 - 6 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	51
		7 - 12 माह (प्रति माह प्रति वर्ग फीट)	50

8	कार्य के तत्कालिकता एवं आवश्यकता तथा बेहतर लोकेशन एवं बेहतर Visibility के आधार पर न्यूनतम निर्धारित दरो में पैनल के एजेन्सियों को कार्य आबंटन का पूर्ण अधिकार अति. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
9	अनुमोदित दर में मीडिया मटेरियल मुद्रण की दर शामिल नहीं होगा। संवाद द्वारा पृथक से मीडिया/ मटेरियल के मुद्रण हेतु अनुमोदित दर राशि रु . 6/- प्रति वर्ग फीट देय होगा। आमंत्रित रूचि की अभिव्यक्ति मीडिया/ मटेरियल का मुद्रण छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा निर्धारित गुणवत्ता, आकार-प्रकार अनुसार करना अनिवार्य है, मुद्रण सामग्री के आकार में कमी होने पर 2.5 प्रतिशत तथा मुद्रण की गुणवत्ता/जीएसएम में कमी होने पर 2.5 प्रतिशत एवं दोनों कमी पाये जाने पर 5 प्रतिशत दर पर अनुपातिक दर के अतिरिक्त पेनाल्टी कटौती की जायेगी। पेनाल्टी तय करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
10	यूनीपोल लगाने की निर्धारित अवधि में Printing Media लगाने, रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इसे बदलने का कार्य एजेंसी का होगा। मीडिया/मटेरियल माउंटिंग हेतु अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। संबंधित विभाग/कार्यालय के अधिकारियों से प्रमाणित संतोषजनक कार्य संपादन संबंधी प्रमाण-पत्र, एवं दिनांक उल्लेखित प्रमाणित छायाचित्र की दो प्रतियां जिसमें यूनीपोल की लोकेशन, अवधि एवं साईज उल्लेखित हो देयक के साथ प्रस्तुत करना होगा। Printing Media हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री NGT तथा समय समय पर केंद्र शासन एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार अनुमोदित सामग्री का उपयोग किया जाना अनिवार्य है, जिसकी उत्तरदायी सम्बंधित एजेंसी की होगी।
11	सम्बंधित विभागों से छत्तीसगढ़ संवाद को देयक का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात ही संबंधित एजेंसी के देयकों का भुगतान किया जाएगा, कार्य हेतु किसी प्रकार का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। एजेंसी द्वारा कार्य पश्चात् 21 दिवस के भीतर फोटोग्राफ्स एवं सत्यापन प्रमाण पत्र के साथ देयक छत्तीसगढ़ संवाद में प्रस्तुत करना होगा एवं जीएसटी अधिनियम के तहत निर्धारित तिथि के अन्दर एजेंसी को देय जीएसटी का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद शासन की एक एजेंसी है एवं संबंधित विभाग के कायदेशि अनुरूप फर्मों से कार्य कराया जाता है। इसलिए संबंधित विभाग द्वारा कार्य एवं देयक सत्यापन तथा भुगतान पश्चात् कार्य पूर्ण माना जायेगा।
12	छ.ग. शासन के किसी भी उपक्रम निगम, मंडल, विश्व विद्यालय स्ववित्तपोषी संस्था द्वारा काली सूची में डाले गये फर्म निविदा में भाग नहीं ले सकते। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में फर्म को नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फर्म को कहीं भी काली सूची में नहीं डाला गया है एवं शपथ पत्र कि मूल प्रति (हार्डकोपी) निविदा दस्तावेज के साथ बंद लिफाफे में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं नियत समय तक छत्तीसगढ़ संवाद भवन, नवा रायपुर अटल नगर के द्वितीय -तल में स्थित कक्ष क्र . SF- 10 भण्डार शाखा में जमा करना होगा।
13	जन, धन एवं थर्ड पार्टी की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बंधित एजेंसी की होगी। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छत्तीसगढ़ संवाद उत्तरदायी नहीं होगा समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं से यथा आवश्यक अनुमति /प्रमाण पत्र/NOC एजेंसी के पास होनी चाहिए।
14	कार्य संपादन पश्चात सत्यापन प्रमाण पत्र एवं फोटोग्राफ्स के साथ 21 दिवस तक एजेंसी द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं करने पर एजेंसी को देयक प्राप्त होते तक अन्य कार्य का आबंटन नहीं किया जायेगा।
15	शासन द्वारा लागू जीएसटी का पृथक से भुगतान किया जायेगा।
16	नगर निगम अथवा जो भी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय संस्था का क्षेत्र अधिकार है, उसकी अनुमति से जारी यूनीपोल की सूची रूचि की अभिव्यक्ति में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
17	रूचि की अभिव्यक्ति में अनुबंध अवधि निविदा में निर्धारित अवधि तक के लिए मान्य होगी। इसके पश्चात् अवधि में कम, वृद्धि व निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित होगा।
18	पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य / कायदेशि नहीं दिया जायेगा। उक्त कार्यावधि के पश्चात् दोबारा उक्त स्थिति निर्मित होने पर संबंधित फर्म को 1 वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड एवं अमानत राशि राजसात किया जायेगा।
19	पैनल के एजेंसी द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर चाहे गए स्थानों में कायदेशि में उल्लेखित आकार प्रकार में कार्य से इंकार करने पर एजेंसी की सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी तथा एजेंसी को एक साल तक ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा।

20	फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व के रायपुर नगर पालिक निगम क्षेत्र एवं नवा रायपुर अटल नगर निवेश क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम कुल 05 नग यूनीपोल/जिला मुख्यालय क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम 05 नग यूनीपोल/ विकासखण्ड, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत क्षेत्र में भाग लेने हेतु न्यूनतम कुल 05 नग यूनीपोल स्थापित होना अनिवार्य है। रायपुर नगर पालिक निगम एवं नवा रायपुर अटल नगर क्षेत्र एवं सभी जिला मुख्यालय के रेलवे या एयरपोर्ट आदि विशेष परिसर में स्थापित एकल स्वामित्व यूनीपोल वाले एजेंसियों के लिए उक्त न्यूनतम संख्या बाध्य नहीं है। एकल स्वामित्व वाले फर्म को एकल स्वामित्व संबंधी अधिकार पत्र तकनीकी बिड के साथ संलग्न करना होगा। यदि फर्म का यूनीपोल केवल रेलवे या एयरपोर्ट परिसर में है तो फर्म केवल संबंधित एकल स्वामित्व वाले स्थान के लिए ही इम्पैनलमेंट होंगे अन्य स्थान के लिए फर्म का इम्पैनलमेंट नहीं होगा।
21	एजेंसी द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि फर्म को उपरोक्त रूचि की अभिव्यक्ति के सभी नियम एवं शर्तें मान्य हैं।
22	जिस निकाय से फर्म को स्थापित यूनीपोल की रसीद / अनुमति प्राप्त होगी उसी निकाय में यूनीपोल को सूचीबद्ध किया जायेगा।
23	छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में लगाये गये यूनीपोल का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रथम बार फ्लैक्स लगाने तथा द्वितीय बार यूनीपोल डिस्प्ले हेतु निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि) उपलब्ध कराना होगा। यदि आपका फ्लैक्स परिवर्तित होता है तो उस स्थिति में पूर्व में लगाये गये फ्लैक्स की अंतिम अवधि की फोटो तदपश्चात आपको परिवर्तित फ्लैक्स का फोटो अपलोड करना होगा।
24	तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् फर्म द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति withdraw करने की स्थिति में अथवा फर्म द्वारा जमा कोई दस्तावेज / जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो फर्म द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा।
25	रूचि की अभिव्यक्ति स्वीकृत होने फर्म को राशि रू. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
26	आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता):- किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेशन-प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
27	व्यवहार में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर छत्तीसगढ़ ही होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर (छ .ग .)

(रू. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र रुचि की अभिव्यक्ति के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं _____ संस्था प्रमुख निवासी _____ छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी रुचि की अभिव्यक्ति का प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में रुचि की अभिव्यक्ति हेतु प्रस्तुत कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो हमारी बिड अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की रुचि की अभिव्यक्ति से संबंधित सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार हैं।

यह कि हमारी संस्था _____ किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/ निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर